

संख्या:फिन-ए-ए(4)-1/2014-1
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

प्रेषित:

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.
4. प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.


दिनांक शिमला-171002, 10.10.2022

विशय:- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमितिकरण।

महोदय,


उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमितिकरण राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7), जो दिनांक 12.08.2022 को विधान सभा में पुरःस्थापित व पारित किया गया है, के द्वारा कर दिया गया है। यह विधेयक हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र दिनांक 04.10.2022 के अंक में वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में प्रकाशित हो चुका है।

भवदीय,


(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-ए(4)-1/2014-1 दिनांक शिमला-171002, 10.10.2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिसूचना संख्या: एल0एल0आर0-डी(6)-14/2022-लेज दिनांक 23.09.2022 के संदर्भ में।
2. अनुभाग अधिकारी, वित्त-डी-अनुभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002.


(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।